13 प्रा/निग0/सतना/2017/4789

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंन्डल ग्वालियर, (सर्किट कोर्ट)

रीवा जिला रीवा (म0प्र0)।

Rs-301—

अधिवक्ता श्री मकरध्वज सिंह द्वारा पेश / 30-11-17

पेशकार ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

रामकुशल द्विवेदी तनय स्व0 मोतीलाल द्विवेदी उम्री 54 साल पेशा खेती, निवासी ग्राम देवरी उर्फ जगदीशपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)।

....................................निगरानीकर्ता

बनाम्

1—बाबूलाल तनय दसइया,

2—लल्लू तनय दसइयां,

3—मुन्नालाल तनय दसइयां,

4—रामसियां पिता राममनोहर 4अ—श्यामलाल पिता राममनोहर,

5—रामचरण पिता भैयालाल,

6—राजेश पिता भैयालाल,

7—पिन्टू पिता भैयालाल,

8—छोटेलाल पिता सरदइयां,

9—होरिल पिता सरदइयां,

10—झब्बू पिता सरदइयां,

11—रामकृपाल पित सरदइयां,

12—सविता पत्नी रामबहोर,

13—सोनू पिता रामबहोर,

14—शिवलाल पिता लक्ष्मण,

उपरोक्त रेस्पा0क्रं0 1 से 14 सभी निवासी ग्राम देउरी उर्फ जगदीशपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)।

रामकुशल द्विवेदी

15–शासन म0प्र0 द्वारा कलेक्टर सतना जिला सतना (म0प्र0)।

16–रामजीत पुत्र स्व0 मोतीलाल,

17–शारदा प्रसाद पुत्र स्व0 मोतीलाल, दोनों निवासी ग्राम देउरी उर्फ जगदीशपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)।

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, रीवा संम्भाग रीवा म0प्र0, राजस्व प्रकरण कं0–09/अपील/2017–2018 आदेश दिनांक–11/10/2017,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं ::–––––

1–यह कि निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता 16 व 17 सगें भाई हैं। तथा मूल पुरूष रामाधीन के नाती हैं। जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय में अपील के पैरा कं0 1, 2, में किया गया था। तथा आ0नं0 504 रकवा 1.45 ए0,/0.587 आरें, जिसका विवाद हैं, उक्त आराजी ग्राम देउरी उर्फ जगदीशपुर तहसील पुराना रघुराजनगर नया अमपाटन जिला सतना म0प्र0 में स्थित भूमि रीवा रियासत के समय में आंनंन्दगढ़ इलाका जिला रीवा में समाहित थी, जिसकें इलाकेंदार जगदीश सिंह थें। उक्त आराजी रघुबर कोल तनय भवानी कोल के नाम थीं। रघुबर कोल की मृत्यु सन् 1938 में लाबल्द फौंत हो गई थी। जिसकें संम्बन्ध में तहसीलदार रघुराजनगर के यहां राजस्व प्रकरण कं0–4/55–56 चला था, जिसमें रघुबर को लाबल्द फौत जांच उपरांन्त पाया गया था। तथा काबिज मोतीलाल, श्यामलाल पाया गया था। जिसकें संम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने अपील के साथ तथा लिखित तर्क के दौरान मुताबिक लिस्ट दस्तावेंज लैखिक साक्ष्य के रूप में पेश किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन तथा अपर आयुक्त महोदय, रीवा द्वारा निगरानीकर्ता की लैखिक साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेंज का परिशीलन कियें बिना विवादित आदेंश पारित किया गया हैं। जो मातहत अदालतो का आदेंश किसी भी सूरत में कायम रखें जानें योग्य नही हैं। निरस्त किया जाय।

2–यह कि इलाका आनंन्दगढ़ के समय मृतक भूमिस्वामी व लाबल्द फौंत होने की स्थिति में इलाका की तरफ से जो व्यक्ति जोतता बोता था, उसकें नाम इलाका की तरफ से उक्त भूमि का इन्तजाम किया जाता था, तथा इलाकेंदार की अनुमति से राजस्व पदाधिकारी जिसमें तहसीलदार सामिल हैं, के द्वारा इलाका की ओर से पट्टा दिया जाता था। तथा राजस्व अभिलेख में इन्तजाम दर्ज

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/सतना/भूरा/2017/4789

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/8/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मकर ध्वज सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 9/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई । 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि पूर्व में भूमिस्वामी मनोहर सरदईया लखमण पिता नन्हका बेवा कसईया कोल निवासी देवरी जगदीशपुरा की मत्यु के बाद वारिसों का सजरा लेते हुये वारिसाना नामांतरण बाबूलाल,लल्ला, मुन्ना, आदि जो कि अनावेदकगण है, उनका नामांतरंण पंजी क्रमांक १२ आदेश दिनांक 21-7-12 विधि संगत आदेश पारित किया गया है। 3-प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह भी है कि विचारण न्यायालय में आवेदक पक्षकार नहीं था जब वह पक्षकार ही नहीं था तो उसे अपील करने की अधिकारिता नहीं है। आवेदक को अपील प्रस्तुत करना था तो उसे पहले प्रकरण में पक्षकार बनना चाहिये था। आवेदक काफी पढा लिखा व्यक्ति है तथा अनावेदकगण अनपढ व्यक्ति हैं जिसका फायदा उठाते हुये फर्जी राजस्व रिकार्ड में बिना सक्षम अधिकारी के तैयार कराया है क्यों कि रघुवर कोल के वारसान होने के बावजूद रघुवर कोल को लावल्द फौत दर्शाया गया है जबकि	

सभी वारिस मौजूद है। वर्तमान में मौके से कब्जा कर खेती कास्तकारी करते हुये इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किया गया वारसाना नामांतरण विधि व प्रक्रिया के तहत होने से स्थिर रखा गया है। अनावेदक द्वारा उक्त भूमि को कभी भी विक्रय नहीं किया और न ही गहन बेची गई है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 9/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य